



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र. 2613/कीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2023

क्र.

दिनांक 30/10/23

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
मंगलायतन विश्वविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संवालयन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अधीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की 05.07.2023 एवं 18.10.2023 में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की सभा बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Science	B.Sc. (Hons.) IT	50,000.00	25500	4500	30000
2		M.Sc. IT	50,000.00	34000	6000	40000
3		BCA	60,000.00	21250	3750	25000
4		MCA	60,000.00	29325	5175	34500
5		B.Tech CSE	1,00,000.00	50575	8925	59500
6		M.Tech	1,00,000.00	50575	8925	59500
7		Ph.D	90,000.00	72250	12750	85000
8		BSc. Forensic Science	72,000.00	35275	6225	41500
9		MSc. Forensic Science	72,000.00	36550	6450	43000
10	Faculty of Management Studies & Commerce & Finance	BBA	60,000.00	40375	7125	47500
11		MBA	90,000.00	64600	11400	76000
12		B.Com (Hons.)	30,000.00	20400	3600	24000
13		M. Com.	30,000.00	20400	3600	24000
14		Ph.D	90,000.00	72250	12750	85000

निसं-02

30/10/23

//02//

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

15	Faculty of Arts, Social Sciences and Humanities	BA (Economics/ English/ Sociology/ Psychology/ Political Science	20,000.00	16150	2850	19000
16		BA (Hons.) Economics/ English/ Sociology/ Psychology/ Political	25,000.00	21250	3750	25000
17		MA (Economics/ English/ Sociology/ Psychology/ Political Science	25,000.00	21250	3750	25000
18		Ph.D	90,000.00	72250	12750	85000
19	Faculty of Agriculture	B.Sc. (H) Agriculture	72,000.00	40800	7200	48000
20		B.Sc. (H) Horticulture	72,000.00	42075	7425	49500
21		B.Sc. (H) Forestry	72,000.00	42075	7425	49500
22		M.Sc. Agriculture (Agronomy)	60,000.00	49300	8700	58000
23		M.Sc. Horticulture	60,000.00	34850	6150	41000
24		M.Sc. Agriculture	60,000.00	25500	4500	30000
25		Diploma in Agriculture Science	30,000.00	25500	4500	30000
26		Ph.D	90,000.00	72250	12750	85000
27		M.Sc. Forestry (Agro- Forestry)	60,000.00	44200	7800	52000
28		M.Sc. Forestry (Medicinal and Aromatic Technology)	60,000.00	44200	7800	52000
29		M.Sc. Forestry (Mushroom Technology)	60,000.00	44200	7800	52000
30	Faculty of Law	BA LLB (H)	90,000.00	54400	9600	64000
31		B. Com LLB (H)	90,000.00	55250	9750	65000
32		LLB (H)	72,000.00	46750	8250	55000
33		LLM (Academic)	60,000.00	46750	8250	55000
34		LLM (Professional)	60,000.00	34000	6000	40000
35		Ph.D	90,000.00	72250	12750	85000
36	Faculty of Pharmacy	B. Pharma	1,00,000.00	62900	11100	74000
37		D Pharma	80,000.00	50150	8850	59000

नोट- उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकित वित्तीय आकड़ों के आधार पर की गई है।

निरंक-03


3.11.23

//03//

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. सत्र 2023-24 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथारंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)



(डॉ.के.पी.साहू)
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2023

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

 भोपाल, दिनांक

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल